उत्तर प्रदेश सरकार
सहकारिता अनुभाग-3
संख्या-18/2015/599/49-3-2015-179/2012
लखनऊ : दिनांक: 13अप्रैल, 2015

आदेश

एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों की भूमि पर मण्डी परिषद द्वारा चबूतरों एवं दुकानों का निर्माण कराया गया है। प्रदेश के जनपदों से प्राप्त संदर्भों से स्पष्ट हो रहा है कि उक्त प्रकार से निर्मित मार्केटिंग हब कार्यशील नहीं है, जिससे इनको बनाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है।

इस योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के उपयोग के सम्बन्ध में मण्डी समिति और सहकारी समितियों के मध्य समझौता ज्ञापन भी निष्पादित कराया गया है। उक्त मार्केटिंग हब के कार्यशील न होने के कारण सहकारी समितियों को समझौता ज्ञापन के अनुसार प्राप्त होने वाली धनराशि भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। सहकारी समितियों तथा मण्डी समितियों के मध्य हुए समझौते ज्ञापन के परीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि उक्त समझौता ज्ञापन निबन्धित नहीं है। सहकारी समिति उक्त भूमि तथा उक्त परिसम्पत्तियों की स्वामी है। समिति के भूमि के क्रय एवं उपयोग सम्बन्धी ज्ञापन निबन्धित न होने के कारण Null and void है।

अत: उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त समझौता ज्ञापन निरस्त किया जाता है।

चूंकि सहकारी समिति अपनी परिसम्पत्तियों का उपयोग उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, कृषि यन्त्र बायोफर्टीलाइजर आदि की बिक्री, कृषको से उनकी उपज की सीधी खरीद, मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खादयान्नों की खरीद एवं उनका भण्डारण आदि के लिए किया जाता है। मार्केटिंग हब के अन्तर्गत निर्मित दुकानें भी किसानों के हित में सम्बन्धित सामानों के लिए हैं, अत: उचित प्रतीत होता है कि इन दुकानों का उपयोग इन सामानों की बिक्री हेतु किया जाय।

उक्त दुकानों का आबंटन नीलामी के माध्यम से आबंटित करने का निर्णय लेते हुए नीलामी हेतु निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाता है :--

1--	सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक	अध्यक्ष
2--	सम्बन्धित जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक	सदस्य
3--	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4--	सम्बन्धित सहकारी समिति का सचिव	सदस्य

शैलेश कृष्ण
प्रमुखसचिव।

----2/---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या- 18/2015/599(1)/49-3-2015,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : --

1- प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0शासन।

2- निदेशक, मण्डी परिषद।

3- आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता,उ0प्र0, लखनऊ।

4- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

शैलेश कृष्ण
प्रमुखसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।